

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, भिण्ड (म.प्र.)

क्र./लेखा/सांख्यिकी/2023/190

भिण्ड, दिनांक : 28.04.2023

प्रति,

शाखा प्रबंधक

समस्त जिलान्तर्गत।

विषय : सावधि एवं बचत अमानतों की ब्याज दरों का पुर्ननिर्धारण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्यालय के पत्र क्र./लेखा/सांख्यिकी/2022/2161 दिनांक 31.12.2022 द्वारा घरेलू सावधि अमानतों की ब्याज दरों में परिवर्तन की सूचना दी गई थी।

ब्याज दरों का संशोधन करने हेतु श्रीमान प्रशासक महोदय बैठक दिनांक 27.04.2023 के संकल्प क्रमांक 12 के निर्णयानुसार सावधि एवं बचत अमानतों की ब्याज दरों में निम्नानुसार पुनः निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई है। संशोधित ब्याज दरें दिनांक 05.05.2023 से प्रभावशील होगी।

क्र.	अवधि	पूर्व निर्धारित दरें	संशोधित ब्याज दरें		
			100.00 लाख से कम जमा राशि पर		100.00 लाख से अधिक जमा राशि पर
			सामान्य नागरिक	वरिष्ठ नागरिक	सामान्य नागरिक
1	15 से 45 दिवस तक	5.00	5.75	5.75	5.75
2	46 से 90 दिवस तक	5.50	6.00	6.00	6.00
3	91 से 179 दिवस तक	6.00	6.25	6.25	6.25
4	180 से 364 दिवस तक	6.25	6.50	6.50	6.50
5	1 वर्ष के लिये	7.00	7.25	7.75	7.25
6	1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	7.00	7.25	7.75	7.25
7	3 वर्ष व अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम	7.00	7.25	7.75	7.25
8	5 वर्ष एवं उससे अधिक	7.00	7.25	7.75	7.25

01. सहकारी समितियों को 1 वर्ष की अवधि या उससे अधिक अवधि के लिये जमा (सावधि) राशि रुपये 100.00 लाख या अधिक पर 0.50 पैसे एवं राशि रुपये 100.00 लाख से कम पर 0.25 पैसे अतिरिक्त ब्याज पूर्ण अनुबंध के लिये ही देय होगा। समयावधि से पूर्व जमा राशि निकासी पर सामान्य ब्याज दर से 1 प्रतिशत कम की ब्याज दर का ही लाभ प्राप्त होगा।



d/migret385

Handwritten signature.

02. बचत अमानतों पर देय ब्याज दरें।

जमा का प्रकार	ब्याज दर
बचत अमानतें	4.00 प्रतिशत

03. उपरोक्तानुसार प्रभावशील ब्याज दरें नई जमा राशियों और परिपक्व होने वाली राशियों के नवीनीकरण पर लागू होंगी।
04. उक्त प्रभावशील ब्याज दरों के अतिरिक्त बैंक कर्मचारियों को एक प्रतिशत अधिक ब्याज 02 नवम्बर 1987 के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अन्तर्गत दिया जावेगा।
05. बैंक के सेवा निवृत्त कर्मचारी जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं, उनकी जमाओं के लिये मिलने वाली अतिरिक्त ब्याज दर के दोनों लाभ में से एक ही प्रकार की सुविधा का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी।
06. रेकरिंग जमाओं पर सामान्य नागरिकों की तरह ब्याज दरें लागू होंगी।

ब्याज दरों में किये गये परिवर्तन संबंधी सूचना पटल पर लगाई जावे एवं शाखा के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को अवगत कराया जावे। शाखाओं पर अमानत वृद्धि हेतु बैनर पर लगाई जावे।



प्रतिलिपि :-

मुख्यकार्यपालन अधिकारी

01. समस्त कक्ष, प्रधान कार्यालय भिण्ड।
02. मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वितीय मंजिल नवीन भवन होशंगाबाद रोड, भोपाल।
03. मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक ई-5 अरेरा कॉलोनी, रविशंकर नगर विट्ठल मार्केट भोपाल।
04. सी.डी.सी. टी.सी.एस. मुम्बई की ओर बैंक की अमानतों पर संशोधित ब्याज दरें दिनांक 05.05.2023 से प्रभावशील करें।
05. सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक महोदय सहकारी संस्थायें म.प्र. भोपाल।
06. हेल्पडेस्क टीसीएस भोपाल की ओर संशोधित ब्याज दरें दिनांक 05.05.2023 से एप्लीकेशन में प्रभावशील करें।
07. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल।
08. सहायक पंजीयक (बैंक ऑडिट) सहकारी समितियाँ, भिण्ड।
09. प्रबंध नागरिक सहकारी बैंक भिण्ड।
10. स्टैंडिंग ऑर्डर फाइल।



मुख्यकार्यपालन अधिकारी